

PBR/अपील/उज्जैन/म.श./2017/2233
माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0
प्रकरण कं /2017 अपील

अम्बाराम पिता दुलाजी बागरी
उम्र- वर्ष लगभग जाति-बागरी
निवासी-ग्राम रूपाहेडा त0 बडनगर जि0
उज्जैन म0प्र0
कृषक ग्राम कलमोडा त0 बडनगर जि0 उज्जैन

श्री. वैभव-राजेश्वर उच्य.
द्वारा आज दि. 17.7.17 को
प्रस्तुत

.....अपीलांत

वैभव-राजेश्वर
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरुद्ध

ईशाक पिता नबीबक्ष जाति नायता
निवासीग्राम- कलमोडा नारेलाकला त0 बडनगर
जिला उज्जैन म0प्र0

.....रेस्पाडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 44 भु0राजस्व संहिता

अधिनस्थ माननीय न्यायालय आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन के
अपील प्रकरण कं 150/अपील/2012-2013 में पारित आदेश दिनांक
26/08/2013 से असंतुष्ट एवं दुखी होकर ।



वैभव-राजेश्वर
14/17

वैभव-राजेश्वर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/अपील/उज्जैन/भू.रा./2017/2233

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-10-2017	<p>अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपीलार्थी की ओर से यह अपील आयुक्त के आदेश दिनांक 26-8-2013 के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक 17-7-17 को 3 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है और विलम्ब क्षमा हेतु प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में विलम्ब का कारण अभिभाषक द्वारा आदेश की जानकारी नहीं दिया जाना बतलाया गया है, जो कि विलम्ब का समाधानकारक कारण नहीं है । फलस्वरूप यह अपील प्रथम दृष्टया अवधि बाह्य प्रस्तुत होने से अग्राह्य की जाती है ।</p> <p></p> <p style="text-align: right;"> (मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>	